संख्याः–121 /पॉच–7–2019

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) **प्रमुख सचिव,**
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

(2) **प्रमुख सचिव,**
पंचायतीराज विभाग,
उ0प्र0 शासन।

(3) **समस्त जिलाधिकारी,**
उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–7 लखनऊः दिनांक 01 जनवरी, 2020

विषयः– **जन्म–मृत्यु पंजीकरण कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी विभागों द्वारा पंजीकरण कार्य हेतु सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सी0आर0एस0) साफ्टवेयर का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

नीति आयोग की हेल्थ इन्डेक्स रिपोर्ट–2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वार्षिक जन्म आंकलन के सापेक्ष जन्म पंजीकरण 60.70 प्रतिशत पाया गया है, जिसके कारण स्वास्थ्य सूचकांक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा तैयार किये गये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सी0आर0एस0) सॉफ्टवेयर (**www.crsorgi.gov.in**) के द्वारा आनलाईन जन्म–मृत्यु पंजीकरण की व्यवस्था दिनांकः 01.10.2015 से पूरे प्रदेश में लागू की जा चुकी है परन्तु प्रदेश में पंजीयन का औसत कम प्रदर्शित होने का प्रमुख कारण पंजीयन कार्य से सम्बन्धित विभिन्न विभागों द्वारा समस्त जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की सूचनायें सी0आर0एस0 पोर्टल पर अंकित न किया जाना है, जबकि नीति आयोग/स्वास्थ्य मंत्रालय नागरिक पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गत सी0आर0एस0 में हुये पंजीकरण के आधार पर ही राज्यों का मूल्यांकन कर रहे है। प्रदेश में जन्म–मृत्यु पंजीकरण का कार्य 03 विभागों द्वारा अलग–अलग पोर्टल/साफ्टवेयर पर किया जा रहा है, जो कि निम्नवत् हैः–

1. राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में होने वाले संस्थागत प्रसव का पंजीकरण सी0आर0एस0 साफ्टवेयर प्रणाली के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।
2. राज्य की ग्रामीण पंजीयन इकाईयों (ग्राम पंचायत) में मुख्यतः गैर संस्थागत प्रसव को ई0डिस्ट्रिक पोर्टल के मध्यम से पंचायतीराज विभाग द्वारा पंजीकृत किया जा रहा है।
3. नगर विकास विभाग की नगरीय पंजीयन इकाईयाँ (नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत/कैन्टोमेण्ट बोर्ड आदि) मुख्यतः निजी क्षेत्र के

चिकित्सालयों में हो रहे जन्म को ई0नगर सेवा पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत करने का कार्य कर रही है।

सम्पूर्ण देश में जन्म–मृत्यु पर्जीकरण की एकल व्यवस्था जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1969 में नेहित प्राविधानों के अन्तर्गत लागू की गई है। नागरिक पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गत सी0आर0एस0 सम्बन्धी कियाकलापों के कियान्वयन हेतु एक साफ्टवेयर (**www.crsorgi.gov.in**) विकसित किया गया है, यह साफ्टवेयर जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1969 में निहित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुये बनाया गया है, जिसके उपयोग से पंजीयन कार्य में एकरूपता आयेगी। सी0आर0एस0 साफ्टवेयर के उप्योग हेतु जिला रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) /जिला अधिकारी तथा अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)/मुख्य चिकित्साधिकारी तथा जनपद में स्थित पंजीयन ईकाईयों के रजिन्ट्रारों के यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड भी समस्त जनपदों के अपर जिला रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु)/मुख्य चिकित्साधिकारियों को उपलब्ध कराये जा चुके है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन्म–मृत्यु पंजीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकरण कार्य में नगर विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:–

1. पंचायतीराज विभाग एवं नगर विकास विभाग सी0आर0एस0 पोर्टल पर आनबोर्ड होगें। इसके लिये सम्बन्धित विभाग सी0आर0एस0 पोर्टल पर सीधे लागिन करेगें या हाईपर लिंक उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् पंजीयन कार्य करेगें। यह व्यवस्था दिनांक: 01 फरवरी, 2020 से लागू होगी। जनसुविधा केन्द्रो के माध्यम से पंर्जीकरण का आवेदन देते समय अनुमन्य शुल्क जो देय होता है, इसके लिये वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाये।
2. यदि कोई जन्म अथवा मृत्यु की घटना निर्धारित समयावधि (21 दिन के भीतर) पंजीकृत नहीं की गयी है तो वह घटना जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1969 और उसके अन्तर्गत बनाई गयी उत्तर प्रदेश जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली–2002, जो शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि दिनांक 22.03.2003 से सम्पूर्ण प्रदेश में प्रभावी है, की धारा–15 में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत धारा–13 एवं उसके अन्तर्गत नियमावली के नियम संख्या: 9 के अधीन पंजीकृत की जायेगी। विलम्बित रजिस्ट्रीकरण निम्नानुसार किया जायेगा –
   (i) जिस जन्म अथवा मृत्यु की सूचना 21 दिन के पश्चात एवं 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को दी जाती है तो वह घटना रू0 2/ (रू0 दो मात्र) का विलम्ब शुल्क भुगतान किये जाने के पश्चात् पंजीकृत की जायेगी।
   (ii) जिस जन्म अथवा मृत्यु की सूचना 30 दिन के पश्चात परन्तु एक वर्ष (12 माह) के भीतर रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को दी जाती है तो वह घटना

शपथपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात जिला पंचायत राज अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र के लिये) एवं उपमुख्य चिकित्साधिकारी (नगरीय क्षेत्र के लिये) की लिखित अनुमति एवं रू0 5/ (रू0 पांच मात्र) का विलम्ब शुल्क भुगतान किये जाने के पश्चात पंजीकृत की जायेगी।

(iii) यदि कोई जन्म अथवा मृत्यु की घटना उसके घटित होने के एक वर्ष (12 माह) की अवधि में पंजीकृत नहीं की गयी है तो वह घटना सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी (S.D.M) के लिखित आदेश पर रू0 10/(रू0 दस मात्र) का विलम्ब शुल्क भुगतान किये जाने पर पंजीकृत की जायेगी।

3. राज्य के समस्त जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर पंजीकृत समस्त निजी चिकित्सा संस्थानों को सी0आर0एस0 सॉफ्टवेयर पर सूचनादाता के रूप में कार्य किये जाने हेतु यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड सम्बन्धित जनपद के अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)/मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जायें। अपलोड की गयी सूचना के आधार पर सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) इनका पंजीकरण करेगें।
4. 31 जनवरी, 2020 के पश्चात् जन्म–मृत्यु पंजीकरण हेतु ई–डिस्ट्रिक पोर्टल तथा ई–नगर सेवा के माध्यम से पंजीकरण की समानान्तर व्यवस्था पूरी तरह से बन्द कर दी जाय। 01 फरवरी, 2020 से सभी पंजीयन इकाईयों द्वारा जन्म–मृत्यु पंजीकरण हेतु सी0आर0एस0 पोर्टल का उपयोग किये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग ई–डिस्ट्रिक पोर्टल एवं ई–नगर सेवा पोर्टल प्रणाली में आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करा लें।
5. पंचायतीराज विभाग एवं नगर विकास विभाग, मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)/महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 से समन्वय स्थापित कर जन्म–मृत्यु पंजीकरण कार्य से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य सुनिश्चित करें।
6. सी0आर0एस0 साफ्टवेयर से सम्बन्धित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड जनपद में स्थिति पंजीयन इकाईयों के रजिस्ट्रारों/सम्बन्धित अधिकारियों को यदि किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो पायें हैं तो सम्बन्धित विभाग मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ से समन्वय स्थापित करें।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्याः–।२९। (1)/पॉच–7–2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, उ0प्र0।
5. निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।